डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ0 प्र0
सेक्टर–11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ–226031

पत्रांकः ए0के0टी0यू0 / कुस0का0 / 2023 / 18544 दिनांकः 14 मार्च, 2023

सेवा में,

निदेशक / प्राचार्य,
डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्थान।

विषयः शैक्षिक सत्र 2022–23 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु (योजनान्तर्गत) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सरकारी / स्ववित्त पोषित संस्थाओं की मान्यता, वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता आनलाइन सत्यापन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

1. कृपया विश्वविद्यालय के पत्रांक ए0के0टी0यू0 / कुस0का0 / 2022 / 17682 दिनांक 25.11.2022, ए0के0टी0यू0 / कुस0का0 / 2022 / 17788 दिनांक 06.12.2022 एवं ए0के0टी0यू0 / कुस0का0 / 2022 / 18263 दिनांक 11.01.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थानों को शैक्षिक सत्र 2022–23 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु (योजनान्तर्गत) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सरकारी / स्ववित्त पोषित संस्थाओं की वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता आनलाईन सत्यापन किये जाने हेतु सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

2. उक्त के सम्बन्ध में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश संख्या C-3419 / स0के0 / छात्रवृत्ति / मॉगपत्र / 2022–23, दिनांक 17.11.2022 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार छात्रवृत्ति योजना के लाभ के लिए अग्रसारित किये गये छात्र–छात्राओं की पूर्ण सूची संस्थान के निदेशक द्वारा सत्यापित प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराते हुए इस आशय का शपथ पत्र भी मूल रूप में प्रस्तुत करें।

3. संस्थान द्वारा दिया गया शपथ पत्र सत्य एवं सही है इसमें कोई तथ्य छिपाया नही गया है। यदि भविष्य में कोई तथ्य छिपाया जाना अथवा अपात्र छात्र / छात्राओं को योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त होना पाया जाता है तो संस्थान जिम्मेदार होगा।

अतः छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित छात्र/छात्राओं की वास्तविक संख्या को अग्रसारित कराने हेतु शपथ पत्र के साथ समस्त अभिलेखों सहित तत्काल विश्वविद्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सकें।

संलग्नः यथोक्त।

भवदीय,

14/3/22

(डॉ0 आर0 के0 सिंह)
उप कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निदेशक, समाज कल्याण विभाग, लखनऊ।
2. कुलसचिव, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।
3. स्टाफ आफिसर, कुलपति कार्यालय, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।

(डॉ0 आर0 के0 सिंह)
उप कुलसचिव

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त, कुल सचिव, केन्द्रीय /राज्य/निजी विश्वविद्यालय जनपद लखनऊ।
2. समस्त, प्रबन्धक/कुल सचिव/निदेशक/प्राचार्य मेडिकल/प्रधानाचार्य/इन्जीनियरिंग/प्रबन्धन/पैरामेडिकल/पालीटेक्निक/आई0टी0आई0 जनपद लखनऊ।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी लखनऊ।(नाम से)

पत्रांक C-3419 /स0क0/छात्रवृत्ति /मॉग पत्र/2022-23, दिनांक 17.11. 2022.

विषयः शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति एव शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत प्रथम चरण, द्वितीय चरण में सत्यापनोंपरान्त अग्रसारित आवेदनों के सापेक्ष पात्र छात्र/छात्राओं के मॉग-पत्र दिनांक 30.11.2022 तक उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष/शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्गत की गयी समय सारिणी में छात्रों के आवेदन करने एवं शिक्षण संस्थानों को आनलाइन सत्यापित कर छात्रों को डाटा को आनलाइन अग्रसारित करने की अंन्तिम तिथि 15.11.2022 निर्धारित की गयी थी। उपरोक्त के अतिरिक्त शिक्षण संस्थानों द्वारा छात्रों के वास्तविक छात्र सं0/संस्था की मान्यता आदि की प्रमाणिकता करने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं सम्बन्धित एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता वास्तविक छात्र संख्या आदि की आनलाइन सत्यापित करने की कार्यवाही हेतु तिथि 17 अक्टूबर 2022 निर्धारित की गयी थी।

उक्त के क्रम में समस्त शिक्षण संस्थाओं एवं सम्बन्धित एफिलियेटिंग एजेन्सी को सूचित किया जाता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु पूर्व में जारी नियमावलियों में दी गयी व्यवस्था एवं समाज कल्याण अनुभाग-3 संख्या-108/2021/2499 26-3-2021-4(358)/07टी0सी0 दिनांक 21 सितम्बर 2021 द्वारा जारी नवीन प्रख्यापित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली तथा उ0प्र0 सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली अष्ठम संशोधन-2019 के लिए जारी पत्रसंख्या 221/2019/4119/26-3-2019 रिट(23)/2011 दिनॉक 14.10.2019 मे तथा पूर्व में दी गयी नियमावलियों के प्राविधानों का भलि-भॉति अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उनमें दी गयी व्यवस्था के अनुसार अध्ययनरत छात्रों के छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के आनलाइन आवेदन पत्रों को विशेष सर्तकता बरतते हुए परीक्षण करने के उपरान्त पात्र छात्रों के डाटा को ही आनलाइन अग्रसारित करेगें तथा अपात्र छात्रों के डाटा को अग्रसारित नहीं करेगें। नान काउन्सिलिंग छात्र/छात्राओं का डाटा सम्बन्धित संस्था, सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं सम्बन्धित एफिलियेटिंग एजेन्सी से फारवर्ड न किया जाए। **उक्त नियम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं हेतु वर्ष 2018-19 से एवं सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु वर्ष 2020-21 से लागू है।** यदि जांचोपरान्त प्रकाश में आता है कि किसी संस्थान द्वारा नान काउन्सिलिंग के छात्र/छात्राओं का डाटा फारवर्ड किया गया है तो उस संस्था के विरूद्ध नियमावली में दिये गये प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए धनराशि वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि वर्ष 2022-23 हेतु निर्गत दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की समय-सारिणी एवं शासनादेशों के अनुसार सभी बिन्दुओं का गहन अध्ययन करते हुए सभी स्तरों से प्रक्रियात्मक कार्यवाही सुनिश्चित कराकर अपने-अपने शिक्षण संस्थान के छात्र/छात्राओं के डाटा को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित कर जिला विद्यालय निरीक्षक/विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर समस्त छात्रों को वर्गवार अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग का अलग-अलग सूची आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र के सभी

संलग्नकों की पी0डी0एफ फाईल को पेनड्राइव में एवं शपथ पत्र दस रूपये के स्टैम्प पेपर पर नोटरी सहित संलग्न प्रारूप के अनुसार अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 30 नबम्बर 2022 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । जिन शिक्षण संस्थानों के वांछित अभिलेख समयान्तर्गत प्राप्त नही होगें उनके वहॉ अध्ययनरत छात्रों के छात्रवृत्ति के आनलाइन आवेदन पत्र को अग्रसारित नहीं किया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी शिक्षण संस्थान को होगी। पात्र छात्र के छात्रवृत्ति योजना के लाभ से वंचित होने पर शिक्षण संस्थान के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नक–शपथ पत्र के प्रारूप एवं प्रपत्रों का विवरण।

भवदीय

(सुनीता सिंह)
जिला समाज कल्याण अधिकारी
लखनऊ।

पृष्ठांकन सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित ।

1. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ।
3. मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
लखनऊ।

दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत संस्था द्वारा दिये जाने वाले नोटरी शपथ–पत्र का प्रारूप

(10 रूपया या उससे अधिक के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर नोटरी के साथ)

समक्ष– जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ।

मैं शपथी .... आयु.................. पुत्र श्री.................................... निदेशक/प्राचार्य/ प्रधानाचार्य.................................... प्राचार्य (शिक्षण संस्थान का नाम).................................... .... जनपद लखनऊ शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ।

1 यह कि सम्बन्धित संस्थान की मान्यता एवं सम्बद्धता निर्विवाद है। संस्थान की मान्यता एवं सम्बद्धता विगत .... से वर्तमान सत्र 2022 23 हेतु नियमानुसार सक्षम नियामक प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त है।

2 शपथी उपरोक्त संस्था में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत है।

3. यह कि शपथी का मोबाईल नम्बर ....तथा ईमेल आई0डी0....................................है।

4. यह कि शपथी द्वारा शिक्षण सत्र/वित्तीय वर्ष 2022 23 हेतु उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति वेबसाइट से सभी पात्र छात्र/छात्राओं का डाटा आनलाइन अग्रसारित करके डाउनलोड की गयी सूची संलग्न की गयी है।

5. यह कि अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत केवल उन्ही छात्रों का डाटा अग्रसारित किया गया है, जिनकी कक्षा में उपस्थिति 75 प्रतिशत से अधिक है।

6. यह कि अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के केवल उन्ही छात्रों का डाटा अग्रसारित किया गया है, जिनका प्रवेश राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा/चयन प्रक्रिया के माध्यम से हुआ है। कोई छात्र/छात्रा प्रबन्धकीय कोटा/स्पाट सीट से प्रवेशित नहीं है।

7. यह कि जिन व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में कक्षा–12 के अंको के आधार पर प्रवेश लिया जाता है उनमें अध्ययनरत सामान्य वर्ग के ऐसे छात्र/छात्राओं को ही अग्रसारित किया गया है, जिनका कक्षा–12 में प्राप्तांक 60 प्रतिशत या उससे अधिक है।

8. यह कि आवेदन पत्र अग्रसारित करने में अनुसूचित जाति/सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावलियों का अक्षरशः पालन किया गया है।

9. यह कि शपथी द्वारा छात्रवृत्ति वेबसाइट पर अग्रसारित किये गये आवेदन पत्रों की हार्डकापी प्राप्त की गयी है ,जिसके साथ आवश्यक सभी दस्तावेज संलग्न कराये गये है तथा उनकी जॉच छात्रवृत्ति नियमावली के प्राविधान के अनुसार शिक्षण संस्थान पर गठित समिति द्वारा छात्रों के पूर्व वर्षो की छात्रवृत्ति का डाटा छात्रवृत्ति वेबसाइट के शिक्षण संस्थान लागिन पर उपलब्ध 'ट्रेक स्टूडेन्ट रिकार्ड' आप्शन से मिलान करने उपरान्त, आय प्रमाण पत्र कमांक एवं आय प्रमाण पत्र में अंकित आय की धनराशि तथा जाति प्रमाण पत्र कमांक व जाति प्रमाण पत्र धारक के नाम आदि का मिलान बोर्ड आफ रेवन्यू /ई0–डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश की वेबसाइट से कर लिया गया है। छात्र/छात्रा के बोर्ड/विश्वविद्यालय के पंजीयन क्रमांक ,परीक्षाफल एवं हाई स्कूल के बोर्ड का रोलनम्बर आदि का मिलान सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से करने उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी है। उपरोक्त प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त ही शपथकर्ता द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र अग्रसारित किये गये है।

10. यह कि उपरोक्त छात्र/छात्राओं के आनलाइन आवेदन पत्रों की हार्ड कापी समस्त संलग्नकों सहित दो प्रतियों में 10 वर्षो तक शिक्षण संस्थान में रक्षित रहेगी, जिसकी एक प्रति मॉगे जाने पर उपलब्ध करा दी जायेगी।

11. यह कि अग्रसारित किये गये आवेदन पत्रों में यदि कोई आवेदक अपात्र पाया जाता है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व शिक्षण संस्थान का होगा।

12. यह कि शपथ पत्र की धारा 1 से 11 तक पूर्णतया सत्य है, किसी तथ्य का छुपाया नही गया है। किसी तथ्य को छुपाये जाने की दशा में पूर्णतयः उत्तरदायित्व संस्थाध्यक्ष का होगा।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
(छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी का नाम)	(प्रधानाचार्य का नाम)
पदनाम	पदनाम

संस्थान के मॉग पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले पत्रों का विवरण

1. संस्थान की मान्यता एवं सम्बद्धता के वर्तमान सत्र 2021-22 के प्रपत्र।
2. फीस निर्धारण प्रपत्र ।
3. संस्थान स्तर पर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत किये जाने हेतु गठित समिति का प्रपत्र
4. मान्यता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय/एफिलिएटिंग एजेन्सी में जमा कराये गये प्रपत्र की रिसीविंग / फारवर्डिंग लेटर।
5. विभाग स्तर से उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार संस्था द्वारा दिये जाने वाला दस रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी सहित शपथ पत्र।
6. संस्थान में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के प्रथम, द्वितीय व तृतीय चरण के ऑनलाइन आवेदन फार्मों की अग्रसारित सत्यापित सूची एवं निम्न प्रारूप पर सूचना –

कुल अग्रसारित आवेदन पत्र	फ्रेश आवेदन फार्म की संख्या (फारवर्ड)	रिनीवल आवेदन फार्म की संख्या (फारवर्ड)	कुल आवेदन फार्म की संख्या (फारवर्ड)
अनुसूचित जाति			
सामान्य वर्ग			

7. प्रथम, द्वितीय व तृतीय चरण के छात्र/छात्राओं के आवेदन पत्र नाम से सभी संलग्नको सहित पी०डी०एफ० फाईल तैयार कर डाटा पेनड्राइव में।
8. संस्था द्वारा फारवर्ड डाटा में जिन कोर्सो में केन्द्र/राज्य सरकार प्रदेश स्तर की प्रवेश परीक्षा से प्रवेश लिया जाता है ,उनका अग्रसारित डाटा की सूची के कम में काउन्सिलिंग लेटर संलग्न करें।

नोट–उपरोक्त समस्त अभिलेखों को प्रमाणित कर क्रमवार संलग्न करते हुए ही कार्यालय में उपलब्ध कराया जाये।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
लखनऊ

प्रेषक,

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,

लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त, कुल सचिव, केन्द्रीय/राज्य/निजी विश्वविद्यालय, जनपद लखनऊ।
2. समस्त, प्रबन्धक/निदेशक/रजिस्ट्रार/प्राचार्य/प्रधानाचार्य, सम्बन्धित विद्यालय, मेडिकल/इन्जीनियरिंग/प्रबन्धन/पैरामेडिकल/पालीटेक्निक/आई0टी0आई0, जनपद लखनऊ।

पत्रांक 533 /अ0सं0क0/2022–23 दिनांकः– 21 नवम्बर 2022

विषयः– शैक्षिक सत्र 2022–23 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत प्रथम व द्वितीय चरण में संस्था स्तर से अग्रसारित आवेदनों के सापेक्ष पात्र छात्र/छात्राओं के मांग–पत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपुर्यक्त विषयक अल्पसंख्यक वर्ग हेतु संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति एव शुल्क प्रतिपूर्ति वर्ष 2022–23 योजनान्तर्गत समय–समय पर निर्गत शासनादेशों/नियमावलियों में विहित व्यवस्थानुसार प्रथम व द्वितीय चरण में संस्थानों के स्तर से परीक्षणोपरान्त अग्रसारित पात्र आवेदनों को समयान्तर्गत नियमानुसार आनलाइन अग्रसारित/निरस्त करने की कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदत्त हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि *वर्ष 2022–23 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत शिक्षण संस्थान द्वारा प्रथम व द्वितीय चरण में अग्रसारित पात्र छात्र/छात्राओं का डाटा शिक्षण संस्था की सम्बन्धित मान्यता प्रदाता एजेन्सी से अग्रसारित कराते हुए आवेदन पत्र की संलग्नकों सहित पी0डी0एफ0 फाइल पेनड्राइव में, संलग्न प्रारूप पर शपथ पत्र (रू0 10/– के नोटरी स्टैम्प) पर क्रमवार समस्त वांछित अभिलेख सहित अनिवार्य रूप से दिनांक 30.11.2022 सायं 05 बजे तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।*

यदि किसी संस्था द्वारा उपरोक्त अभिलेखों को निर्धारित दिनांक एवं समय तक उपलब्ध नही कराया जाता है जिसके कारण कार्यालय स्तर पर सत्यापन न होने की दशा में संस्था द्वारा अग्रसारित सम्बन्धित छात्रों का छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान नही को पाता है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित शिक्षण संस्थान का होगा।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार

(सोन कुमार)
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी
लखनऊ। 21/11/22

पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, लखनऊ।
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,
लखनऊ।

Scanned with OKEN Scanner

समक्ष जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी

मैं शपथी श्री/श्रीमती...पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री... प्रबन्धक/निदेशक...शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि:–

1. दशमोत्तर छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु योजनान्तर्गत जारी शासनादेश में शिक्षण संस्थानों के निर्धारित दायित्वों का पूर्णतयः निर्वहन करते हुए सत्र 2022–23 हेतु संस्था में अध्ययनरत् तथा आनलाईन आवेदन करने वाले पात्र छात्र/छात्राओं के आवेदन परीक्षणोपरान्त (विगत वर्ष के प्राप्तांक, पूर्णांक तथा आय, जाति आदि, प्रमाण पत्रों का) सही पाये जाने पर ही सत्यापित/अग्रसारित किया गया है तथा आवेदन की हार्डकापी संस्था में सुरक्षित रखते हुए प्रत्येक छात्र/छात्राओं के आवेदन की साफ्टकापी विभाग को उपलब्ध करायी जा रही है।
2. संलग्न सूची में दर्ज सभी छात्र/छात्राओं जिनके छात्रवृत्ति आवेदन पत्र आनलाइन संस्था द्वारा अग्रसारित किये गये है वे सभी छात्र/छात्राऐं संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश के सभी मानक पूर्ण करते/करती है तथा उनकी शैक्षणिक सत्र के दौरान उपस्थिति 75 प्रतिशत या उससे अधिक रही है। यदि कोई छात्र/छात्रा भविष्य में निर्धारित मानक पूरा करने में असफल रहता/रहती है तो तत्काल विभाग को सूचित करते हुए प्रेषित की जाने वाली धनराशि रोकने हेतु अनुरोध किया जायेगा/प्रेषित धनराशि वापस करायी जायेगी।
3. विगत वर्षो में जिन छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त हुई थी, उनमें से ऐसे छात्र/छात्राऐं जिन्होंने वर्ष 2022–23 हेतु अपना नवीनीकरण नहीं कराया है उनके नवीनीकरण न कराये जाने का विवरण अंकित करते हुए उपलब्ध कराया जा रहा है।
4. वे छात्र/छात्राऐं जिन्हें विगत वर्ष में छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि प्रेषित की गयी थी। उनमें से जो वार्षिक परीक्षा में अनुपस्थित थे/संस्थान छोड़ चुके है अथवा नियमावली में उल्लिखित किसी अन्य कारण से भुगतान की गयी धनराशि वसूली/वापस करने योग्य थी, ऐसे छात्र/छात्राओं को विगत वर्ष में भुगतान हुई धनराशि (छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति) संस्था/छात्र द्वारा विभाग को नियमानुसार वापस कर दी गयी है तथा कोई भी धनराशि संस्था स्तर पर देय नही है।
5. केवल उन्हीं छात्र/छात्राओं का आवेदन अग्रसारित किया गया है जिन्होने अन्य किसी छात्रवृत्ति योजना (भारत सरकार द्वारा सांचलित छात्रवृत्ति योजना) में आनलाइन आवेदन नहीं किया है।

मेरे द्वारा दिये गये उपरोक्त क्रम सं0 01 से क्रम सं0 05 तक सभी तथ्य सही है। यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है अथवा अभिलेखीय/भौतिक सत्यापन में अनियमितता पायी जाती है तो जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, लखनऊ को मेरे विरूद्ध योजनान्तर्गत जारी शासनादेश मे दिये गये व्यवस्थानुसार कार्यवाही किये जाने का सम्पूर्ण अधिकार होगा, जो मुझे मान्य होगा।

छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी के (नाम एवं हस्ताक्षर)
मुहर

शिक्षण संस्था के प्रबन्धक/निदेशक के (नाम एवं हस्ताक्षर)
मुहर

नोटः– छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित सभी शिक्षण संस्थानो को दिनांक 30.11.2022 से पूर्व निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र के साथ समस्त सम्बन्धित अभिलेखो को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी
लखनऊ

Scanned with OKEN Scanner

संस्था के मांग पत्र के साथ संलग्नक किये जाने वाले पत्रों का विवरण

1. संस्था की मान्यता एवं सम्बद्धता के वर्तमान सत्र 2022–23 के प्रपत्र एवं फीस निर्धारण प्रपत्र।
2. संस्था स्तर पर छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत किये जाने हेतु गठित समिति।
3. संस्थान स्तर से दिये जाने वाला सत्यापन / संस्तुति प्रमाण पत्र।
4. मान्यता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेन्सी में जमा कराये गये प्रपत्र की प्राप्ति रसीद / फारवर्डिंग लेटर।
5. विभाग स्तर से उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार संस्था द्वारा दिये जाने वाला शपथ पत्र।
6. संस्थान में अध्ययनरत् अग्रसारित छात्र / छात्रों की सत्यापित सूची।
7. छात्रों के आवेदन पत्रों (सभी संलग्नकों सहित) को पी0डी0एफ0 फाईल, पेनड्राइव में।
8. शैक्षणिक सत्र 2022–23 में छात्र / छात्रा की उपस्थिति तथा परीक्षा विवरण जो शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन अग्रसारित के समय पोर्टल पर अंकित किया गया है की प्रमाणित प्रति निम्न प्रारूप परः–

क्र. सं.	छात्रवृत्ति पंजीकरण संख्या	छात्र / छात्रा का नाम	पिता / पति का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम का वर्ष	उत्तीर्ण / अनुत्तीर्ण	विगत वर्ष का प्राप्तांक / पूर्णांक	उपस्थिति का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9

9. वर्ष 2021–22 में आवेदन करने वाले ऐसे छात्र जिन्होंने वर्ष 2022–23 हेतु नवीनीकरण नहीं कराया है की कारण सहित विवरण / प्रमाणित सूची, निम्न प्रारूप परः–

क्र. सं.	विगत वर्ष का छात्रवृत्ति पंजीकरण संख्या	छात्र / छात्रा का नाम	पिता / पति का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम का वर्ष	गत वर्ष छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त होने की स्थिति	छात्रवृत्ति आवेदन नवीनीकरण न किये जाने का स्पष्ट कारण (साक्ष्य सहित)
1	2	3	4	5	6	7	8

नोट– उपरोक्त समस्त अभिलेखों को क्रमवार संलग्न करते हुए ही कार्यालय में उपलब्ध कराया जाये।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
इन्दिरानगर, विकास भवन, लखनऊ

पत्रांक /पि0व0क0/छात्रवृत्ति/2022-23 दिनांक 21 नवम्बर, 2022

1— समस्त कुल सचिव/रजिस्ट्रार केन्द्रीय/राज्य/निजी विश्वविद्यालय, लखनऊ।
2— समस्त प्रबन्धक/कुल सचिव/रजिस्ट्रार/निदेशक/प्राचार्य/प्रधानाचार्य सम्बन्धित विद्यालय/इन्जीनियरिंग कालेज/पैरामेडिकल/पॉलीटेकनिक/महाविद्यालय/आई0टी0आई0 मान्यता प्रदाता संस्थाएं, जनपद–लखनऊ।

विषय: शैक्षणिक सत्र 2022–23 मे दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत शिक्षण संस्थान स्तर से प्रथम एवं द्वितीय चरण में सत्यापनोपरान्त अग्रसारित आवेदनों के सापेक्ष पात्र छात्र/ छात्राओं के मांग–पत्र उपलब्ध कराने के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक अन्य पिछड़े वर्ग के (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के लिए संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा समय समय पर निर्गत शासनादेशों/नियमावलियों में विहित व्यवस्थानुसार प्रथम एवं द्वितीय चरण में छात्रवृत्ति आवेदन से लेकर वितरण तक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्धारित समय सारिणी के अनुसार शिक्षण संस्थानों के स्तर से परीक्षणोपरान्त पात्र छात्र/छात्राओं के आवेदन समय सीमा अग्रसारित/निरस्त करने की कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदत्त हैं।

उपरोक्त निर्देशानुक्रम मे जनपद की समस्त शिक्षण संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि वर्ष 2022–23 मे दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत शिक्षण संस्थान द्वारा प्रथम एवं द्वितीय चरण में परीक्षणोपरान्त अग्रसारित पात्र छात्र/छात्राओं का डाटा शिक्षण संस्थान की सम्बन्धित मान्यता प्रदाता एजेन्सी से अग्रसारित करते हुए आवेदन पत्र (सभी संलग्नकों सहित) की पी0डी0एफ0 फाइल पेन ड्राइव में संलग्न प्रारूप पर शपथ–पत्र (रू0 10/के नोटरी स्टैम्प पेपर) पर क्रमवार समस्त वांछित अभिलेखो सहित अनिवार्य रूप से दिनांक: 30–11–2022 सायं 5 बजे तक कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, यदि किसी शिक्षण संस्थान द्वारा अपेक्षित अभिलेख/मांग–पत्र निर्धारित अन्तिम तिथि तक कार्यालय को उपलब्ध नही कराये जाते है, तो यह मानते हुए संस्थान मे अध्ययनरत तथा आवदेन करने वाले छात्र नियमानुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क पूतिपूर्ति की आर्हता नहीं रखते है अथवा अपात्र है। अतः ऐसी स्थिति में शिक्षण संस्थान के किसी भी आवेदन पर विभाग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में यदि शिक्षण संस्थान के किसी भी पात्र छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान नही को पाता है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित शिक्षण संस्थान का होगा।

संलग्नक– यथोक्त।

(सत्येन्द्र प्रताप सिंह)
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
लखनऊ।

पत्रांक, दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1-जिलाधिकारी/अध्यक्ष दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृति समिति।
2-मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृति समिति।
3-क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
लखनऊ।

समक्ष जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, लखनऊ

मै शपथी श्री/श्रीमती.....................................शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा नीचे उल्लिखित क्रम संख्या 01 से क्रम स0 04 तक सभी तथ्य सत्य है। यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है अथवा अभिलेखीय/ भौतिक सत्यापन मे किसी प्रकार की कोई अनियमितता पायी जाती है तो जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, लखनऊ मेरे विरूद्ध शासनादेश स0 72/2016/536/64 2 2016 1 (छात्रवृत्ति)/2013 दिनांक 19 अगस्त, 2016 के पैरा 15 मे दी गयी व्यवस्थानुसार कार्यवाही किये जाने अधिकृत होगें, जो मुझे स्वीकार होगा:-

1- अन्य पिछड़ी जाति के (अल्पसंख्यक पिछड़ी जाति को छोड़कर) के लिए संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के कियान्वयन हेतु जारी शासनादेश संख्या 11-1(छात्रवृत्ति)/2013/902/64-2-2017-1(छात्रवृत्ति)/2013 दिनाक 08 दिसम्बर 2017 के पैरा-12 मे शिक्षण संस्थानो के निर्धारित दायित्वों का पूर्णतयः निर्वहन करते हुए सत्र 2022-23 मे संस्था मे अध्ययनरत् तथा ऑनलाईन आवेदन करने वाले पात्र छात्रों/छात्राओ के आवेदनो समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त हार्डकापी संस्था मे सुरक्षित रखते हुए साफ्टकापी विभाग को उपलब्ध करायी जा रही है।

2- शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग को उपलब्ध करायी जा रही सूची में अंकित समस्त छात्र/छात्रायें जिनके छात्रवृत्ति आवेदन ऑनलाइन अग्रसारित किये गये है वे सभी छात्र पाठ्यकम मे प्रवेश हेतु पात्रता सम्बन्धी समस्त मानक पूर्ण करते है तथा उनकी शैक्षणिक सत्र के दौरान उपस्थिति 75 प्रतिशत या उससे अधिक रही है। संस्था में अध्ययनरत कोई भी पात्र छात्र छात्रवृत्ति आवेदन से वंचित नहीं रहा है।

3- विगत वर्ष में जिन छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि प्राप्त हुई थी, उनके सम्बन्ध मे विगत शैक्षणिक सत्र मे छात्र की उपस्थिति तथा परीक्षा विवरण को छात्रवृत्ति पोर्टल पर अंकित कर दिया गया है तथा उनमें से ऐसे छात्र जिन्होंने वर्ष 2022-23 में छात्रवृत्ति हेतु नवीनीकरण नहीं किया गया है। उनकी कारण सहित सूची विभाग को उपलब्ध करायी जा रही है। नवीनीकृत छात्रों के अग्रसारित आवेदनों में अंकित विगत वर्ष के प्राप्तांक/पूर्णाक/परीक्षाफल का सत्यापन संस्थान द्वारा कर लिया गया है।

4- ऐसे छात्र जिन्हे विगत वर्षो मे छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि प्रेषित की गयी थी। उनमें से जो छात्र वार्षिक परीक्षा मे अनुपस्थित थे/संस्थान छोड़कर कर चले गये है अथवा नियमावली मे दिये गये निर्देशो के विपरीत किसी अन्य कारण से भुगतानित छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि वसूली/वापस करने योग्य थी, ऐसे समस्त छात्रों को विगत वर्ष विभाग द्वारा भुगतान की गयी धनराशि (छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति) संस्था/छात्र द्वारा नियमानुसार विभाग को वापस कर दी गयी है। अब कोई भी धनराशि संस्थान स्तर पर वसूली हेतु देय नही है।

छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी का
(नाम एव हस्ताक्षर)
मुहर सहित
दूरभाष संख्या.................................

शिक्षण संस्था के प्रबन्धक/निदेशक का
(नाम एव हस्ताक्षर)
मुहर सहित
दूरभाष संख्या ....

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
लखनऊ।

छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की मांग–पत्र के साथ कमवार संलग्न किये जाने वाले प्रमाण–पत्रों का विवरण

1– शिक्षण संस्थान मे संचालित पाठ्यकम हेतु वर्ष 2022–23 की मान्यता/सम्बद्धता प्रति।

2– सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क संरचना सम्बन्धी अभिलेख।

3– शिक्षण संस्थान स्तर पर छात्रवृत्ति स्वीकृति हेतु गठित समिति सम्बन्धी अभिलेख।

4– शिक्षण संस्थान द्वारा लॉक किये गये मास्टर डाटा की प्रति।

5– मान्यता प्रदाता एजेन्सी से डाटा लॉक कराये जाने सम्बन्धी प्रति।

6– संस्थान स्तर से दिये जाने वाला सत्यापन/संस्तुति प्रमाण –पत्र परिशिष्ट 'छ' पर।

7– विभाग द्वारा जारी विवरण के अनुसार रू0 10 के स्टैम्प पर नोटरी शपथ–पत्र।

8– संस्थान में अध्ययनरत् अग्रसारित छात्र/छात्रों की सत्यापित सूची।

9– छात्रों के आवेदन पत्रों (सभी संलग्नकों सहित) को पी0डी0एफ0 फाईल पेन ड्राइव मे।

6– शैक्षणिक सत्र 2022–23 मे छात्र की उपस्थिति तथा परीक्षा विवरण जो शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन अग्रसारित के दौरान पोर्टल पर भरा गया, की प्रमाणित प्रति निम्न प्रारूप पर–

क्र0 सं0	छात्रवृत्ति पंजीकरण संख्या	छात्र/छात्रा का नाम	पिता/पति का नाम	पाठ्यकम का नाम	पाठ्यकम का वर्ष	उत्तीर्ण/ अनुत्तीर्ण की स्थिति	विगत वर्ष का प्राप्तांक/पूर्णांक	उपस्थिति का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9

10– वर्ष 2021–22 मे आवेदन करने वाले ऐसे छात्र जिनके द्वारा वर्ष 2022–23 में नवीनीकरण नही किया गया है कारण सहित विवरण/प्रमाणित सूची निम्न प्रारूप पर–

क्र0 सं0	विगत वर्ष का छात्रवृत्ति पंजीकरण सं0	छात्र/छात्रा का नाम	पिता/पति का नाम	पाठ्यकम का नाम व वर्ष	गत वर्ष छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त होने की स्थिति	छात्रवृत्ति नवीनीकरण न किये जाने का स्पष्ट कारण
1	2	3	4	5	6	7

नोट– कृपया समस्त अभिलेख कमवार संलग्न कर उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
लखनऊ।